दिनांक 04.08.2014 को 02:30 बजे अप0 में बिहार विधान सभा की लोक लेखा-समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

---

<u>उपस्थिति</u>

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति की दिनांक **04.08.2014 को 02:30 बजे अप0** में सम्पन्न बैठक में समिति के सभापति एवं अन्य सदस्य के अलावे महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से सी0ए0जी0 के प्रतिनिधि / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग बिहार, पटना के प्रतिनिधि एवं विभाग की ओर से सचिव (अधोहस्ताक्षरी) द्वारा उक्त बैठक में विभाग का प्रतिनिधित्व लिया गया ।

प्रासंगिक बैठक में सी0ए0जी0 की निम्नलिखित लंबित कंडिकाओं के अनुपालन प्रतिवेदन पर विमर्श हुआ :-

1. **<u>सी0ए0जी0 की कंडिका -</u> 3.4 / 2011-2012** (राज्य का वित्त) - सभापति महोदय द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों एवं डी0आर0डी0ए0 में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के पूर्ण अनुपालन हेतु समुचित कार्रवाई कर नियमानुसार राशि वसूल किये जाने के मामले में दोषी के विरूद्ध स-समय अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु मौखिक निदेश दिया गया, जिसमें मुख्यत: निम्नलिखित प्रखंडों से सम्बंधित मामालों जहॉ अत्यधिक राशि समायोजन वसूली हेतु लंबित है के सम्बंध में अनुपालन हेतु हिदायत दी गई कि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहता है तो सम्बंधित जिला पदाधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समिति की अगली बैठक में बुलायी जाय ।

I. प्रखंड विकास पदाधिकारी - झंझारपुर, मधुवनी
II. प्रखंड विकास पदाधिकारी - पूर्णियॉ
III. प्रखंड विकास पदाधिकारी - मुंगेर (आई0आर0नं0 569/07-08)
IV. प्रखंड विकास पदाधिकारी - पूसा (समस्तीपुर)
V. प्रखंड विकास पदाधिकारी - पिपराही (शिवहर)
VI. प्रखंड विकास पदाधिकारी - बसंतपुर, सुपौल
VII. प्रखंड विकास पदाधिकारी - नाथनगंर (भागलपुर) एवं
VIII. प्रखंड विकास पदाधिकारी - डी0आर0डी0ए0 (लखीसराय) के अध्यतन स्थिति ।

इस संदर्भ में समिति के सभापति महोदय द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि मधुवनी जिलान्तर्गत राजपुर प्रखंड के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति समिति को विशेष जॉच कर प्रतिवेदित शीध्र किया जाय । जिला पदाधिकारी को भी समिति की अगली बैठक में बुलायी जाय ।

2. **<u>सी0ए0जी0 की कंडिका -</u>** 5.1.2 / 10-11 एवं 5.3.5 / 10-11 - समिति द्वारा कंडिका का अनुपालन ग्रामीण कार्य विभाग से 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाय तथा अगली बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के प्रधान सचिव तथा उप विकास आयुक्त, पटना को प्रतिवेदन के साथ **<u>अगली बैठक</u>** में उपस्थित होने हेतु भी निदेश दिया गया ।

3. **<u>सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.1 / 2010-11-</u>** समिति द्वारा दिनांक 26.05.2014 की बैठक में इसे सशर्त निष्पादित किया गया था दिये गये शर्त से सम्बंधित अनुपालन प्रतिवेदन समिति को शीध्र भेजना अपेक्षित है ।

4. **सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.7 / 2010-11-** समिति द्वारा दिनांक 26.05.2014 की बैठक में सशर्त निष्पादित किया गया था । दिये गये शर्त्त से सम्बंधित अनुपालन प्रतिवेदन समिति को शीध्र भेजना अपेक्षित है ।

5. **सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.9 / 2010-11-** समिति द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिवेदन की मॉग की गई ।

6. **सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.10 / 2010-11-** समिति द्वारा विमर्श में बताया गया कि गैर कालाजार प्रभावित एवं आयोग्य व्यक्ति तथा गैर कर्णांकित लोगों को लाभ प्रदान किया गया ?

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को निदेश दिया गया कि इसकी जॉच अपने स्तर से कर लें, दोषी पाये जाने वाले के विरूद्ध कार्रवाई कर फलाफल से समिति को शीध्र अवगत कराये जाने के शर्त पर इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

7. **सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.11 / 2010-11 -** समिति द्वारा सचिव महोदय अपने स्तर से जॉच कराने तथा दोषी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर फलाफल से समिति को शीध्र अवगत कराने के शर्त के साथ इस कंडिका को भी निष्पादित किया गया ।

8. **सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.12 / 2010-11 -** समिति द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को मार्गदर्शिका में एतद् संबंधी प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई कर समिति को फलाफल से शीध्र अवगत कराने के शर्त पर इस कंडिका को भी निष्पादित माना किया गया और समिति को शीध्र प्रतिवेदित करने हेतु निदेश दिया गया ।

9. **सी0ए0जी0 की कंडिका 2.1.8.13 / 2010-11 -** समिति द्वारा सचिव ग्रामीण विकास विभाग को द्वारा मार्गदर्शिका में एतद् संबंधी प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई कर समिति को शीध्र अवगत कराने के निदेश के शर्त पर इसे भी निष्पादित माना किया गया ।

10. मनरेगा पर स्टैण्ड एलोन 2011-12- इस कंडिका से संबंधित समिति द्वारा विर्मश के उपरांत मनरेगा पर स्टैण्ड एलोन की आपत्ति कंडिकाओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन शीध्र उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया । इसके लिए एक माह का समय दिया गया है ।

प्रासंगिक कार्यवाहीं की उपर्युक्त कंडिकाएँ प्रशाखा 05,08,13 एवं 14 के प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित एक माह के अंदर उत्तर प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है ।

(एस0एम0राज)
सचिव, 19/8/14
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 197070 ग्रा0वि0वि0,पटना, दिनांक 20/8/14

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी- 05,08,13, एवं 14 / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, से अनुरोध है कि लोक-लेखा समिति से संबंधित सी0ए0जी0 की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्ण साक्ष्य सहित अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि अगामी समिति की बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन समिति को स-समय किया जाना संभव हो सकें ।

सचिव
19/8/14